नगर निगम शिमला
सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा रिज पर स्थित निगम की एल0इ0डी0 स्क्रीन, भराडी रैस्ट हॉउस, कार पार्किंगों, निगम की दुकानों इत्यादि के लिए मोहरबन्द निविदायें दिनांक 11.6.2015 को सांय 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें उसी दिन सांय 3.00 बजे रोटरी टॉउन हाल दी माल शिमला में निविदायें खोलने हेतु गठित समिति के समक्ष खोली जाऐगी।

निगम सम्पत्तियों की सूची जिनके आबंटन हेतु निविदायें आंमन्त्रित की जानी हैंः-

क्रम स0	विवरण	वाहन क्षमता/ क्षेत्रफल वर्ग मीटर/ वर्ग फुट	अवधि	धरोहर राशि (रू0)	आरक्षित राशि (रू0)
1.	रिज पर स्थित निगम की एल ई डी स्क्रीन के संचालन हेतु।	136 वर्ग फुट	दो वर्ष	5,00,000	35,000/- मासिक
2.	नगर निगम रैस्ट हाउस भराडी	11 कमरे व हाल इत्यादि	सात वर्ष	30,00,000/-	15,00,000/- वार्षिक
3.	निगम कार पार्किग नजदीक जे.सी.बी. स्कूल ब्लाक न031,सैक्टर 3 के साथ न्यू शिमला	132.75 वर्ग मीटर 13 हल्के वाहन	एक वर्ष	7,000/-	70,000/- वार्षिक
4.	निगम कार पार्किग एस. डी. ए. काम्पलैक्स कुसुम्पटी शिमला	251.98 वर्ग मीटर 25 हल्के वाहन	एक वर्ष	50,000/-	2,50,000/- वार्षिक
5.	मैट्रोपोल के नीचे निगम परिसर में टैरिस फ्लोर में कार्यालय/ए0टी0एम/दुकान /टी0स्टाल हेतु कमरा	180 वर्ग फुट	सात वर्ष	50,000/-	10,000/- मासिक
6.	दुकान न0- 212,पहली मंजिल टुटू व्यवसायिक परिसर शिमला	39.30 वर्ग फुट	सात वर्ष	15,000/-	2500/- मासिक
7.	ऑक्लैण्ड टनल के उपर निगम की दुकानों के सामने दिबार पर होर्डिग लगाने हेतु	लगभग 10 होर्डिग लगाने हेतु (प्रति होर्डिग 162 वर्गफुट)	एक वर्ष	40,000/	4,00,000/-वार्षिक

8.	निगम की दुकान न0-2,नजदीक ढ.ली टनल ढिंगु बावडी रोड़ शिमला	92.64 वर्ग फुट	सात वर्ष	30,000/	8,000/- मासिक
9.	निगम की दुकान न0-3,नजदीक ढ.ली टनल ढिंगु बावडी रोड़ शिमला	91.24 वर्ग फुट	सात वर्ष	30,000/	8,000/- मासिक
10.	निगम कार पार्किंग नजदीक भज्जी हाउस (आई0जी0एम0सी0) शिमला	676.5 वर्ग मीटर छोटे वाहन 38	एक वर्ष	40,000/-	4,00,000/-वार्षिक
11.	माल रोड़ में गैंदामल हेमराज के सामने ए0टी0एम0 के लिए कमरे के आंबटन बारे	100 वर्ग फुट	सात वर्ष	50,000/-	35,000/- मासिक
12.	इंजनघर संजौली में वार्ड कार्यालय के साथ ए0टी0एम0 लगाने बारे	100 वर्ग फुट	सात वर्ष	30,000/-	10,000/- मासिक
13.	ओल्ड बस स्टैण्ड शिमला में पुल के नीचे ए0टी0एम0 लगाने बारे	58.10 वर्ग फुट	सात वर्ष	50,000/-	25,000/- मासिक

शर्ते व निबन्धनः-

1. सशर्त व धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदायें रद्द कर दी जाएंगी। उन पर किसी प्रकार का विचार नही किया जाएंगा।
2. धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएंगी जो आयुक्त/सहायक आयुक्त नगर निगम शिमला के पक्ष में शिमला में देय होगी।
3. सफल निविदाकार को पार्किंगों की ठेका राशि की 25 प्रतिशत राशि देय सेवाकर सहित स्वीकृति पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर व पार्किंगों की पूर्ण ठेका राशि पर देय टी.सी.एस. इत्यादि का भुगतान अग्रिम रूप में करना होगा। यह ठेका राशि के अतिरिक्त होगा तथा पार्किंगों की शेष राशि के 10 उत्तर दिनांकित चैक सेवाकर सहित (पोस्ट डैटिड चैक) अग्रिम रुप में देने होगें। बाहर के चैक मान्य नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त भराडी रैस्ट हाउस/ एल0इ0डी0 स्कीन/ दुकाना/ए0टी0एम0 स्थल के लिए छः माह का अग्रिम किराया देय सेवाकर सहित स्वीकृती पत्र की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर जमा करवाना होगा।
4. प्रत्येक सफल निविदाकार की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में परिवर्तित किया जाएगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदाकार या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकता है।
6. विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला शहर होगा।
7. निविदायें खोलने वाले दिन यदि अवकाश धोषित हो जाता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर प्राप्त की व खोली जाएंगी।
8. निविदाओं की राशि निगम द्वारा निर्धारित टैन्डर फार्म में साफ शब्दों व अंकों में लिखनी होगी, जिस पर किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा लिफाफे पर निविदा का नाम लिखना होगा। जैसे निविदा निगम कार पार्किंग एस डी ए कॉम्पलैक्स कसुम्पटी आदि। अधूरी निविदा मान्य नहीं होगी। टैन्डर फार्म निगम की वैबसाईट में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
9. निविदायें सहायक आयुक्त,नगर निगम शिमला के कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बॉक्स में डालनी होंगी। समय सीमा के तुरन्त पश्चात निविदा बॉक्स बन्द कर दिया जाएगा ताकि कोई निविदा समय अवधि के पश्चात न डाली जा सकें। व्यक्तिगत तौर पर कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । निविदा केवल निविदा बॉक्स में डाली गई ही स्वीकार होंगी।

10. यदि निविदा डाक द्वारा भेजी जाती है तो यह निगम के कार्यालय में निविदा की तिथि से एक दिन पूर्व साँय 5.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए अन्यथा देर से प्राप्त निविदाये मान्य नहीं होंगी।

11. केन्द्र सरकार,राज्य सरकार, नगर निगम शिमला या अन्य द्वारा लगाया गया कोई भी कर/सेवाकर निविदाकार को अदा करना होगा और यह दरों में सम्मिलित करके मान्य नही होगा।

12. यदि कोई निविदाकार नगर निगम की किसी सम्पति/दुकान/स्टाल/ पार्किंग आदि का देनदार पाया गया तो उसकी निविदा रद्द कर दी जाएगी और बाद में पता लगने पर भी निविदा स्वतः रद्द समझी जाएगी।

13. उच्चतम निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर नगर निगम के साथ निगम द्वारा तय शर्तो के अनुसार इकरारनामा/पट्टाविलेख निर्धारित अवधि के अन्दर-2 निष्पादित करना होगा अन्यथा निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा उस द्वारा दी गई उच्चतम निविदा रद्द समझी जाएगी।

14. जिन ठेकेदारों के पास वर्तमान में पार्किंग का ठेका है, यदि वह निविदा देना चाहतें हैं तो उन्हें नगर निगम शिमला की सम्पदा शाखा से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

15. निविदाओं के नियमों व शर्तो पर यदि किसी निविदाकार को कोई आपत्ति हो तो वह सम्बन्धित निविदाओं के खोलने से पहले अपनी आपत्तियाँ दायर कर सकता है। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

16. उपरोक्त वर्णित शर्तो के अतिरिक्त सभी निविदाओं की अलग-अलग शर्ते भी है। जो अधीक्षक सम्पदा से किसी भी कार्य दिवस को व्यक्तिगत तौर पर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

17. आयुक्त नगर निगम शिमला को बिना कोई कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

18. सरकार एवं निगम द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देश मान्य होंगें।

19. आयुक्त,नगर निगम या उसके प्राधिकृत/कर्मचारी को ठेके पर आंबटित सम्पति का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

20. अनुबन्धनामा की शर्तो की उल्लंघन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जायेगा और धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

21. पार्किंग के ठेकेदार को इस में स्थित कन्टीन में आने-जाने के लिए कम से कम 2 फुट का रास्ता छोडना होगा ।

23 अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर यदि कोई नुक्सान पाया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुक्सान पाये जाने की राशि काटकर बाकी की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी तथा ठेका पूरा होने पर निविदाकार को सम्पति का कब्जा शान्तिपूर्वक नगर निगम को सौंपना होगा।

24 निगम पार्किंग, कन्टीन व निगम की दुकाने वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी सुविधाओं के साथ आंबटित की जाएगी तथा बिजली, पानी के बिलों का भुगतान व लाईसेंस इत्यादि की औपचारिकताऐं उच्चतम निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।

25 इलैक्ट्रिक होर्डिंग उच्चतम निविदाकारों को अपने खर्चे पर लगाने होगें निगम की सम्पति के कोई नुकसान पहुँचता है उसकी भरपाई उच्चतम निविदाकार से की जाएगी। बिजली का मीटर लगाने हेतु अनापित प्रमाण पत्र निगम द्वारा दिया जाएगा। इस हेतु व्यय की जाने वाली राशि व बिलो का भुगतान स्वयं करना होगा।

26 किसी भी पार्किंग में प्राकृतिक व अप्राकृतिक स्थिति से वाहनों को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी जिम्मेवारी नगर निगम की नहीं होगी।

27 निगम द्वारा निर्धारित दरों से यदि ठेकेदार द्वारा वाहन शुल्क अधिक वसूल किया जाता है तो प्रथम शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्व होने पर रू0 20,000/-जुर्माना वसूल किया जायेगा। पुनः शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्व होने पर आबंटन रद्द कर दिया जाएगा व उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

28 सूची में दर्शाई निगम की किसी भी सम्पति में यदि बिजली,पानी की कोई राशि देय होगी तो उसका भुगतान सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा।

29 पार्किंग के सफल निविकार को निर्धारित दरों की रसीदें नगर निगम की सम्पदा शाखा से रू035/-प्रति रसीद बुक का भुगतान करने पर प्राप्त करनी होगी। इसमें समय अवधि वाहन का न0 अंकित करना होगा। हाथ से लिखी रसीदें व ठेकेदार द्वारा स्वयं छपवाई गई रसीदें मान्य नहीं होगी।

30. उच्चतम निविदाकार को पार्किंग के गेट पर निर्धारित की गई दरों का बोर्ड लगाना होगा जिसमें नगर निगम कार्यालय दूरभाष-नम्बर तथा यथानिर्देशित अन्य जानकारी भी अंकित करना होगा।

नोटः-निविदा केवल निर्धारित टैन्डर फार्म पर ही मान्य होंगीं।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला

नगर निगम शिमला

नीलामी सूचना में दर्शायें गये नियम व शर्तों के अतिरिक्त भराडी रैस्ट हाउस, एल0ई0डी0 स्कीन, कार पार्किंगों, दुकानों के लिए अन्य नियम व शर्ते निम्न प्रकार से हैं :–

1 कार पार्किंग को उच्चतम निविदा राशि के आधार पर एक वर्ष के लिये ठेके पर दिया जाएगा। ठेका पूरा होने पर इसके पश्चात निविदाकार/पट्टाधारी को पार्किंग का शान्तिपूर्वक कब्जा नगर निगम को सौंपना होगा।

2. पट्टाविलेख का खर्चा पट्टाधारी/ ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा तथा कार पार्किंगों में वाहनों को पार्क करने का किराया निगम द्वारा निम्न निधारिंत दरों अनुसार वसूल किया जाएगा।

3. लिफट, मैटोपोल कार्ट रोड, हाई कोर्ट कार पार्किंग खलीनी,सिसल,एस डी ए कॉम्पलैक्स, रैन बसेरा (व्यवसायिक पार्किंगे) दरो की सूचीः–

समय	छोटी कारें वेन,जीप आदि। रूपये	टाटासूमो, एस्टीम, सिलो तथा अन्य सभी प्रकार की लम्बी कारें । रूपये	स्कूटर/ मोटर साईकिल रूपये
0 से 2	15.00 रूपये	20.00 रूपये	5.00. रूपये
0 से 4	30.00 रूपये	40.00 रूपये	10.00 रूपये
0 से 6	50.00 रूपये	60.00 रूपये	20.00 रूपये
0 से 12	100.00 रूपये	120.00 रूपये	40.00 रूपये
0 से 24	170.00 रूपये	200.00 रूपये	80.00 रूपये
मासिक	2000.00 रूपये	2500.00 रूपये	750.00 रूपये

निगम कार पार्किंग नजदीक जोधा निवास,अमर भवन, अग्रवाल धर्मशाला, टिम्बर हाउस व अन्य चिन्हित पार्किंगे

समय	छोटी कारें वेन,जीप आदि। रूपये	टाटासूमो, एस्टीम, सिलो तथा अन्य सभी प्रकार की लम्बी कारें । रूपये	स्कूटर/ मोटर साईकिल रूपये
0 से 2	10.00 रूपये	15.00 रूपये	5.00. रूपये
0 से 4	15.00 रूपये	20.00 रूपये	5.00 रूपये
0 से 6	20.00 रूपये	25.00 रूपये	10.00 रूपये
0 से 12	25.00 रूपये	30.00 रूपये	15.00 रूपये
0 से 24	30.00 रूपये	35.00 रूपये	20.00 रूपये
मासिक	600.00 रूपये	800.00 रूपये	300.00 रूपये

सड़क पार्किंग/यैलो लाईन पार्किंग के लिए वाहनों को खड़े करने का शुल्क प्रातः 8:00बजे से सांय 8:00बजे तक निम्न अनुसार ठेकेदार द्वारा वसूल किया जायेगा।

समय घण्टो में	चार पहिये वाले हल्के वाहन रू0	दरें स्कूटर/ मोटर साईकिल
0 -2	10/- प्रति वाहन	5/-
0-4	20/- प्रति वाहन	10/-
0-6	30/- प्रति वाहन	15/-
0-12	40/- प्रति वाहन	20/-
0-24	80/-	30/-

1. **एल0ई0डी0 स्क्रीन** का आंबटन मोहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित करके 2 वर्ष की अवधि हेतु मासिक किराया राशि के आधार पर किया जायेगा। सफल निविदाकार को एल ई डी स्क्रीन की ठेका राशि देय सेवाकर सहित (पोस्ट डैटिड चैक) अग्रिम रूप में देने होगें। बाहर के चैक मान्य नहीं होगें। चैक बिना भुगतान के बैंक से वापिस आने पर चैक की राशि में 18 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त वार्षिक ब्याज वसूल किया जायेगा । निविदाकार को स्क्रीन की धरोहर राशि की बैंक गारण्टी के रूप में आयुक्त/सहायक आयुक्त के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी ।

2. एल0ई0डी0 स्क्रीन चालु हालत में स्थित है जिसकी देख-रेख की पूर्ण जिम्मेवारी उच्चतम् निविदाकार की होगी प्रत्येक वस्तु की इन्वैन्टरी लिस्ट निगम द्वारा जारी की जाएगी और इसी अनुसार ठेका अवधि की समाप्ति पर वापिस कब्जा लिया जाएगा और क्षति होने पर इसकी भरपाई ठेकेदार से की जाएगी, तथा सरकार/हि0प्र0 सरकार व नियमों के विरुद्ध कोई भी विषयवस्तु स्क्रीन पर प्रसारित नहीं करनी होगी ।

3. एल0ई0डी0 स्क्रीन हेतु बिजली का बिल व अन्य आने वाला खर्च निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा तथा हि0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1994 के अर्न्तगत नियम व शर्तें मान्य होगी। हि0प्र0 सरकार/नगर निगम द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन हेतु एक घण्टे में 6 मिनट का समय निःशुल्क प्रदान करना होगा।

4. एल0ई0डी0 स्क्रीन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर बिना कारण बताए इसका कब्जा वापिस ले लिया जाएगा।

1. **भराडी रैस्ट हाउस** का आबंटन मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित करके 7 वर्ष की अवधि हेतु मासिक किराया राशि के आधार पर किया जाएगा । उच्चतम निविदा राशि में प्रत्येक वर्ष उपरान्त 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

2. सफल निविदाकार को धरोहर राशि रू0 30,00,000/- की बैंक गारण्टी निगम को निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी, जो आयुक्त/सहायक आयुक्त के पक्ष में देय होगी ।

3. सफल निविदाकार द्वारा भराड़ी रैस्ट हाउस में फर्नीचर बिजली की फीटिंग व अन्य सामान ठेका समाप्ति की अवधी के बाद निगम को सौंपना होगा।

4. सफल निविदाकार को रैस्ट हाउस की मासिक ठेका राशि की 6 माह की राशि देय सेवाकर सहित सवीकृति पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर अग्रीम रूप में जमा करवानी होगी तथा प्रत्येक माह की राशि के उतरदिनांकित चैक सेवाकर सहित हर वितीय वर्ष के आरम्भ में प्रस्तुत करने होंगे । चैक बिना भुगतान के बैंक से वापिस प्राप्त होने की स्थिति में चैक की राशि पर 18 प्रतिशत की अतिरिक्त जूर्माना राशि देय होगी ।

5. उच्चतम निविदाकार रैस्ट हाउस का ठेका आगे किसी अन्य व्यक्ति को नही देगा और न ही इसे सबलैट करेगा । रैस्ट हाउस में कोई भी गैर-कानूनी कार्य नहीं करेगा अन्यथा ठेका तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा और धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा ।

6. निगम रैस्ट हाउस वर्तमान में जिस स्थिति में है उन्ही सूविधाओं के साथ आबंटित किया जायेगा तथा बिजली पानी के बिलों का भुगतान व लाईसैंस आदि की औपचारिकताएं उच्चतम निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर पूर्ण करनी होगी । रैस्ट हाउस में किसी प्रकार का अवैध निर्माण व अतिक्रमण करना मान्य नही होगा तथा रैस्ट हाउस में प्रत्येक वस्तु की इन्वैटरी निगम द्वारा जारी की जायेगी और इसी अनुसार ठेका अवधि की समाप्ति पर कब्जा वापिस लिया जायेगा । रैस्ट हाउस में किसी भी वस्तु या इसके इर्द-गिर्द लगे वृक्षों की क्षति होने पर इसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी ।

7. उच्चतम निविदाकार को एक कमरा एक वर्ष में 150 दिनों के लिए आयुक्त नगर निगम के पक्ष में सुरक्षित रखना होगा जिसका आबंटन नगर निगम के एक दिन के अग्रिम आवेदन पर सरकारी दरों पर किया जायेगा ।

कार पार्किंग/दुकान/ए0टी0एम0

1. पार्किंग स्थल पर बड़े वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। किन्तु टाटा सूमो, सिलो, एस्टीम व अन्य बड़ी कारों को निर्धारित दरों पर पार्क करने की अनुमति होगी।
2. सफल निविदाकार को पार्किंगों में स्थानीय लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए सर्वप्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी।
3. पार्किंग स्थल में / से यदि कोई वाहन चोरी / क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसमें नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नही होगी। इसके लिए अनुबन्धधारी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. पार्किंग स्थल से बाहर खड़े वाहनों का किराया अनुबन्धधारी वसूल नही करेगा न ही पार्किंग स्थल से बाहर वाहन खड़े करने की अनुमति होगी।

अनुबन्धनामा की शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जायेगा और धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा पार्किंग स्थल का कब्जा बिना नोटिस दिये वापिस ले लिया जायेगा।

5. उच्चतम निविदाकार पार्किंग का ठेका आगे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा और न ही इसे सबलेट करेगा अन्यथा ठेका तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। पार्किंग स्थल को साफ रखने की जिम्मेवारी भी निविदाकार की होगी व निविदाकार को पार्किंग स्थल पर केवल गाड़ियां खड़ी करने का ही अधिकार होगा, और इस पार्किंग पर निविदाकार का कोई अधिकार उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त नहीं होगा तथा न ही पार्किंग में होर्डिंग,बैनर लगायेगा।
6. पार्किंग के बिजली का बिल, स्थल की सफाई तथा यदि शौचालय हो तो उसकी भी सफाई तथा पानी का बिल भी निविदाकार/अनुबन्धधारी स्वयं वहन करेगा।
7. आयुक्त नगर निगम शिमला के पास पार्किंग में होर्डिंग/ बैनर तथा अन्य प्रकार की स्वीकृति देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8. दुकान/स्टाल/ए0टी0एम0 स्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उपलब्ध सुविधाओं के साथ सौंपे जाएंगे तथा उच्चतम निविदाकार को स्वीकृती पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर अग्रिम रूप में 6 माह की किराया राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी।

9. नगर निगम की पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना पट्टाधारी दुकान/स्टाल/ए0टी0एम0 स्थल को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तान्तरित या लीज तथा लाईसैंस पर नहीं देगा और न ही किसी के साथ सांझीदारी करने का अधिकार होगा तथा न ही सबलेट करेगा। अनुबन्ध नामा के शर्तो का उल्लंघन करने या निर्धारित मासिक ठेका/लीज राशि नियमित रूप से न जमा करने पर अनुबन्ध तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा तथा धरोहर राशि /प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

10. नगर निगम शिमला या अन्य विभागों द्वारा समय-समय पर लगाये जाने वाले सभी प्रकार के कर/सेवाकर इत्यादि पट्टाधारी को स्वयं वहन करने होगे और आवश्यक लाईसैंस/प्रमाण पत्र अपने स्तर पर लेने होगें।

11. लीज/इकरानामा की सभी शर्तो के किसी भी भाग का उल्लंधन होने की दशा में आयुक्त, नगर निगम शिमला को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय लीज/इकरानामा को तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के रद्द कर सकेगें तथा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

12. उच्चतम निविदाकार को दुकान/स्टाल/ए0टी0एम0 स्थल के आगे पड़े खाली स्थान/बरामदे में किसी प्रकार का सामान रखने का अधिकार न होगा और न ही वह किसी अन्य व्यक्ति को यहां बैठने देगा तथा जितना स्थान आवंटित है उतना ही प्रयोग करेगा।

13. उच्चतम निविदाकर ऐसा कोई भी विषयवस्तु ,विज्ञापन नहीं छपवायेगा/प्रकाशित करेगा जो सरकार एवं नगर निगम की नीतियों व जनता की भावनाओं के विरुद्ध हो तथा निर्धारित परिमाप / क्षेत्रफल से अधिक परिमाप / क्षेत्रफल का विज्ञापन नहीं लगायेगा ऐसा होने पर ठेकेदार के प्रति कानूनी कार्यवाही की जाएगी और धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी तथा आयुक्त,नगर निगम को उस विज्ञापन को तुरन्त हटाने का अधिकार होगा।

14. लीज की अवधि पूरी होने से पूर्व जनहित में यदि आवश्यक हो तो आयुक्त,नगर निगम शिमला को लीज रद्द करने व दुकान का कब्जा वापिस लेने का अधिकार होगा।

15. उच्चतम निविदाकार को निगम की दुकान/ स्टाल/ए0टी0एम0 स्थल सही दशा में रखनी होगी। इसमें निगम की बिना पूर्व स्वीकृति के कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति न होगी । निगम सम्पति में किसी प्रकार की क्षति होगी तो बिना किसी पूर्व सूचना के दुकान का कब्जा वापिस ले लिया जाएगा और धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

16. दुकान/स्टाल/ए0टी0एम0 स्थल की सफाई व इसके आस-पास के स्थान को साफ-सुथरा अपने खर्चे पर रखना निविदाकार/पट्टाधारी की जिम्मेवारी होगी।

17. ए0टी0एम का स्थल वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी अनुसार आबंटित किया जाएगा तथा ए0टी0एम0 लगाने हेतु निर्माण कार्य उच्चतम् निविदाकार को स्वयं अपने खर्चे पर करना होगा जो नगर निगम के सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता की देख-रेख में किया जाएगा। बिजली के बिलों का भुगतान व लाइसैंस इत्यादि की औपचारिकताएं उच्चतम् निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी। खर्च की गई राशि का समायोजन किराया राशि में नहीं किया जाएगा।

ह0/-

आयुक्त,

नगर निगम शिमला।

नगर निगम शिमला

नगर निगम शिमला द्वारा निगम की कार पार्किंगों, निगम की दुकानें के आंबटन हेतू। निविदा फार्मः

सेवा में,

आयुक्त,
नगर निगम, शिमला।

विषयः– निविदा बारे।

महोदय,

मैं अपनी निविदा निम्न ब्यौरे अनुसार प्रस्तुत करता/करती हूँ ।

1.	निविदाकार का नाम व पता तथा सम्पर्क न0	
2.	सम्पति का नाम जिसके लिए निविदा दी गई है।	
3.	धरोहर राशि के ड्राफ्ट का न0, तिथि व राशि	
4.	निविदाकार द्वारा भरी गई निविदा की राशि, मासिक /वार्षिक अंको व शब्दों में	
5.	निविदाकार के हस्ताक्षर तिथि सहित।	
6.	पैन नम्बर	